रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27052022-236064
CG-DL-E-27052022-236064

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 137]	नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 27, 2022/ज्येष्ठ 6, 1944
No. 137]	NEW DELHI, FRIDAY, MAY 27, 2022/JYAISHTHA 6, 1944

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

संकल्प

नई दिल्ली, 27 मई, 2022

विषय : रेलवे में शीर्ष स्तर पर आईआरएमएस (संवर्ग बाह्य लेवल-17 पद और संवर्ग बाह्य लेवल-16 पद) का सृजन और तत्संबंधी चयन मानदंड।

सं. 2022/ई(जी)आरआर/23/3.—रेल संगठन के व्यापक पुनर्गठन के लिए 24 दिसंबर 2019 के मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार, सरकार ने शीर्ष स्तर पर भारतीय रेल प्रबंधन सेवा (आईआरएमएस) के सृजन के लिए रेलवे में लेवल-17 (शीर्ष स्तर) में 7 संवर्ग बाह्य पदों और लेवल-16 (एचएजी+ स्तर) में 29 संवर्ग बाह्य पदों का विलय करने का विनिश्चय किया है।

उपर्युक्त निर्णय के अनुरूप, अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड और रेलवे बोर्ड के सदस्यों के पदों को भरने के लिए मानदंडों के संबंध में भारत सरकार के पूर्व में अधिसूचित दिनांक 16.08.2016 के संकल्प सं.ईआरबी-1/2016/11/3, महानिदेशक (संरक्षा) के पदों को भरने के लिए मानदंडों के संबंध में दिनांक 11.11.2019 के संकल्प सं॰ ईआरबी-I/2019/11/2 और रेल मंत्रालय के अधीन महाप्रबंधकों और समकक्ष के पदों को भरने के लिए मानदंडों के संबंध में दिनांक 16.08.2016 के संकल्प सं.ई(ओ)III-2016/पीएल/01 का एतदद्वारा निरसन किया जाता है और इसके अधिक्रमण में भारतीय रेल में शीर्ष प्रबंधन के लेवल-17 और लेवल-16 में भारतीय रेल प्रबंधन सेवा के पदों को भरने के लिए नई नीति अनुमोदित की गई है और संलग्न है।

रेलवे में शीर्ष स्तर पर आईआरएमएस (लेवल 17 और लेवल 16) के सृजन के लिए नीति और तत्संबंधी चयन मानदंड

1. **आईआरएमएस पदों के रूप में लेवल 17 (एल 17) और लेवल 16 (एल 16) में 36 पदों को पुनः पदनामित करना**

रेलवे अधिकारियों में विभाग-वाद को हटाने की आवश्यकता को देखते हुए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 दिसंबर 2019 को रेल संगठन के व्यापक पुनर्गठन को मंजूरी दी है।

इस निर्णय के अनुसार, एल 17 (शीर्ष) स्तर पर 7 संवर्ग बाह्य पदों और एल 16 (एचएजी +) लेवल पर 29 संवर्ग बाह्य पदों को एतदद्वारा आईआरएमएस एल 17 और आईआरएमएस एल 16 पदों के रूप में पुनः पदनामित किया जाता है जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है।

एल-17 (शीर्ष स्तर:संवर्ग बाह्य) पदों को आईआरएमएस (एल-17) पदों के रूप में पुनः पदनामित किया जाएगा:

#	पद	संख्या
1	अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी रेलवे बोर्ड	1
2	रेलवे बोर्ड के सदस्य [(सदस्य अवसंरचना), सदस्य (परिचालन एवं व्यवसाय विकास), सदस्य (कर्षण एवं चल स्टॉक) और सदस्य (वित्त)]	4
3	महानिदेशक (मानव संसाधन)	1
4	महानिदेशक (संरक्षा)	1
	कुल	7

एल-16 (संवर्ग बाह्य: एचएजी +) लेवल पदों को आईआरएमएस (एल-16) पदों के रूप में पुनःपदनामित किया जाएगा:

#	पद	संख्या
1	महाप्रबंधक(क्षेत्रीय रेलवे) मेट्रो रेल सहित	17
2	महाप्रबंधक, सवारी डिब्बा कारखाना, चेन्नै	1
3	महाप्रबंधक, चित्तरंजन रेलइंजन कारखाना, चित्तरंजन	1
4	महाप्रबंधक, बनारस रेलइंजन कारखाना, वाराणसी	1
5	महाप्रबंधक, रेल पहिया कारखाना, बेंगलूरु	1
6	महाप्रबंधक, (निर्माण), पूर्वोत्तर सीमा रेलवे गुवाहाटी	1
7	महाप्रबंधक, आधुनिक रेल कोच फैक्ट्री, रायबरेली	1
8	महाप्रबंधक, केंद्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन, इलाहाबाद	1
9	महाप्रबंधक, रेल डिब्बा कारखाना, कपूरथला	1
10	महानिदेशक, भारतीय रेल राष्ट्रीय अकादमी, वडोदरा	1
11	महानिदेशक, अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन, लखनऊ	1
12	अपर सदस्य/योजना/रेलवे बोर्ड	1
13	सचिव रेलवे बोर्ड	1
	कुल	29

2. **बैच-वार पैनलबद्ध करने के सिद्धांत**

क. इन आईआरएमएस लेवल-17 और आईआरएमएस लेवल-16 पदों का पैनल रेल मंत्रालय द्वारा व्यापक मूल्यांकन और मंत्रिमंडल की नियुक्ति संबंधी समिति द्वारा अनुमोदित सर्वोत्तम उपयुक्त अधिकारियों का चयन करके पात्र उम्मीदवारों से बैच-वार तैयार किया जाएगा।

ख. तत्पश्चात पद के लिए रिक्तियों और पैनलबद्ध अधिकारियों की उपयुक्तता के आधार पर तैनाती की जाएगी।

ग. इसमें कोई विभागीय कोटा नहीं होगा। साथ ही, महाप्रबंधक के रूप में तैनाती के लिए ओपन लाइन बनाम गैर ओपन लाइन विभेद नहीं होगा।

घ. सभी पैनलबद्ध अधिकारियों की तैनाती होने तक पैनल प्रभावी रहेगा। पैनलबद्ध अधिकारियों की तैनाती रिक्तियां होने पर की जाएगी।

ङ. अगले बैच का पैनल अग्रिम रूप से तैयार किया जाएगा ताकि मौजूदा पैनल समाप्त होने पर रिक्तियां भरने के लिए नए पैनल पर विचार किया जा सके।

3. पैनलबद्ध करने की प्रक्रिया

3.1 पैनलबद्ध करने की पात्रता

आईआरएमएस एल 17 और आईआरएमएस एल 16 पदों में पैनलबद्ध होने के लिए पात्र समझे जाने के लिए, अधिकारी को भारतीय रेल की आठ संगठित ग्रुप 'ए' सेवाओं (आईआरएसई,आईआरएसएमई, आईआरएसईई, आईआरएसएसई, आईआरएसएस, आईआरटीएस, आईआरपीएस,आईआरएएस) में से एक सेवा से संबंधित होना चाहिए और लेवल 15 (उच्च प्रशासनिक ग्रेड (एचएजी)) अथवा उससे ऊपर में नियमित आधार पर कार्यरत होना चाहिए।

3.2 आईआरएमएस एल 17 और आईआरएमएस एल 16 के पैनल में रखे जाने पर विचार करने के लिए बैचों के पात्र अधिकारियों को पैनल में रखे जाने के लिए आवेदन देने के लिए कहा जाएगा। आवेदन में निम्नलिखित सूचना होनी चाहिए:

(क) शीर्ष तीन पदों जिन पर अधिकारीचयनित होना चाहता है (अधिकारी पर सभी पदों के लिए विचार किया जाएगा)

(ख) सेवा के दौरान जीवन में संगठन के लिए शीर्ष पाँच योगदानों का विवरण (अधिक विवरण भी दे सकते हैं)

(ग) अधिकारी जिन तीन शीर्ष पदों के आकांक्षी है उनके लिए वे दी गई समय सीमा में क्या पाँच शीर्ष योगदान दे सकते हैं, उसका विवरण

3.3 रेल मंत्री द्वारा नामित विभागीय पदोन्नति समिति,जिसमें सचिव कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी रेलवे बोर्ड और एक गैर-रेलवे अधिकारी (जैसे सचिव, डीपीआईआईटी अथवा सचिव, एमओआरटीएच अथवा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नीति आयोग आदि) शामिल हैं,चार इनपुट: i) विशेषज्ञ पैनल द्वारा एसीआर/एपीएआर का मूल्यांकन; ii) विशेषज्ञ पैनल मल्टी सोर्स फीडबैक; iii) ईक्यू मूल्यांकन; और iv) एप्लीकेशन के आधार पर अधिकारी का पूर्ण मूल्यांकन करेगी। पैनल बनाने के लिए निर्णय लेने में विभागीय पदोन्नति समिति की सहायता के लिए मूल्यांकन प्रक्रिया हेतु आंतरिक दिशानिर्देश अनुबंध -1 के रूप में संलग्न हैं।

इस पूर्ण मूल्यांकन के आधार पर,विभागीय पदोन्नति समिति आईआरएमएस एल-17 और आईआरएमएस एल-16 के लिए पैनल की मंत्रिमंडल की नियुक्ति संबंधी समिति के अनुमोदन हेतु सिफ़ारिश करेगी।

3.4 विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की आवधिकता और पैनलों की अवधि

क) विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक मौजूदा पैनल के अधिकारियों की उपलब्धता के आधार पर उपयुक्त समय पर होगी। बैच को पैनल में रखने पर विचार करने हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक पर्याप्त समय होगी ताकि मौजूदा पैनल के समाप्त होने से पहले सभी आवश्यक कदम अग्रिम रूप से उठाए जा सकें। विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा बनाया गया और मंत्रिमंडल की नियुक्ति संबंधी समिति द्वारा अनुमोदित पैनल सभी पैनलबद्ध अधिकारियों की तैनाती (उपलब्ध और आगामी रिक्तियों) तक वैध रहेगा।

ख) एक बार पैनल में रखे जाने के बाद, अधिकारियों को उनकी उस पद की उपयुक्तता के आधार पर रिक्तियों पर नियुक्त किया जाएगा।

3.5 पूर्ण मूल्यांकन से संबंधित दस्तावेज़ों को अत्यंत गोपनीय समझा जाए ताकि व्यापक मूल्यांकन प्रक्रिया की निष्पक्षता और सटीकता सुनिश्चित की जा सके।

3.6 अधिकारी द्वारा अभ्यावेदन

क) पैनल में रखने की प्रक्रिया द्वारा प्रभावित कोई भी अधिकारी अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, रेलवे बोर्ड को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकता है, जो इस अभ्यावेदन को समीक्षा विशेषज्ञ पैनल को भेजेगा।

ख) समीक्षा विशेषज्ञ पैनल का गठन अनुबंध-1 के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाएगा मूल विशेषज्ञ पैनल से इतर विशेषज्ञों से किया जाएगा। समीक्षा विशेषज्ञ पैनल विशेषज्ञ पैनल की सिफ़ारिशों का अध्ययन करेगा, नए सिरे से अनुबंध-1 के अनुसार मूल्यांकन करेगा, अधिकारी के अभ्यावेदन पर विचार करेगा और उसके बाद अपनी तर्क संगत सिफ़ारिशों को अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी निदेशक, रेलवे बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

ग) विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा पुनः विचार किए जाने के लिए सिफ़ारिश किए गए सभी मामलों की यथाशीघ्र समीक्षा की जाएगी और यह समीक्षा विशेषज्ञ पैनल द्वारा प्रस्तुत की गई तर्कसंगत सिफ़ारिशों के तीन माह के भीतर ही की जाएगी।

घ) अधिकारी आईआरएमएस एल-16 के पैनल में रखे जाने के लिए अधिकतम दो अभ्यावेदन और आईआरएमएस एल 17 के पैनल में रखे जाने के लिए एक अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।

4. **भारतीय रेल प्रबंधन सेवा लेवल-17 एवं लेवल-16 के पदों पर पैनलबद्ध अधिकारियों की नियुक्ति**

4.1 **पैनल से अलग नियुक्ति**

क) पैनलबद्ध अधिकारी किसी विशिष्ट पद पर नियुक्ति का हकदार नहीं है।

ख) किसी विशिष्ट पद के लिए पैनलबद्ध अधिकारी की उपयुक्तता के आधार पर नियुक्ति करना उपयुक्त प्राधिकारी का विशेषाधिकार होगा।

4.2 **भारतीय रेल प्रबंधन सेवा लेवल-17 शीर्ष ग्रेड में सीआरबी एवं सीईओ की नियुक्ति**

भारतीय रेल प्रबंधन सेवा लेवल-17 में कार्य करने वाले सभी अधिकारी और भारतीय रेल प्रबंधन सेवा लेवल-17 के लिए पैनल में उपलब्ध अधिकारी, अध्यक्ष और सीईओ रेलवे बोर्ड के पद पर नियुक्ति के लिए पात्र होंगे। मंत्रिमंडल की नियुक्ति संबंधी समिति (एसीसी) के अनुमोदन के लिए सीआरबी और सीईओ के रूप में नियुक्ति के लिए रेल मंत्रालय द्वारा अनुभव प्रोफाइल, क्षमता, सामान्य प्रतिष्ठा, सत्यनिष्ठा और नेतृत्व गुणों के आधार पर पद के लिए व्यापक मूल्यांकन और उपयुक्तता के आधार पर अधिकारियों में से एक अधिकारी की सिफारिश की जाएगी।

4.3 **भारतीय रेल प्रबंधन सेवा लेवल-17शीर्ष ग्रेड में रेलवे बोर्ड के चार सदस्यों और महानिदेशक (मानव संसाधन) और महानिदेशक (संरक्षा) की नियुक्ति**

भारतीय रेल प्रबंधन सेवा लेवल-17 में कार्य करने वाले सभी अधिकारी और भारतीय रेल प्रबंधन सेवा लेवल-17 के लिए पैनल में उपलब्ध अधिकारी, सदस्य (अवसंरचना), सदस्य (परिचालन और व्यवसाय विकास), सदस्य (कर्षण और चल स्टॉक) और सदस्य (वित्त), महानिदेशक (मानव संसाधन) और महानिदेशक (संरक्षा) के पद पर नियुक्ति के लिए पात्र होंगे। इन पदों पर नियुक्ति के लिए अनुभव प्रोफाइल, क्षमता, सामान्य प्रतिष्ठा, सत्यनिष्ठा और नेतृत्व गुण पद के लिए व्यापक मूल्यांकन और उपयुक्तता के आधार पर उपयुक्त अधिकारी मंत्रिमंडल की नियुक्ति संबंधी समिति (एसीसी) को अनुशंसित किए जाएंगे ।

4.4 **भारतीय रेल प्रबंधन सेवा लेवल 16 में महाप्रबंधकों और समकक्ष की नियुक्ति**

भारतीय रेल प्रबंधन सेवा लेवल-16 के लिए पैनलबद्ध सभी अधिकारी, भारतीय रेल प्रबंधन सेवा लेवल-16 में महाप्रबंधकों और समकक्ष पदों पर नियुक्ति के लिए पात्र होंगे। पद की विशिष्ट आवश्यकता (आवश्यकताओं) और भरे जाने वाले पद (पदों) के लिए पैनलबद्ध अधिकारियों की उपयुक्तता को ध्यान में रखते हुए, व्यापक मूल्यांकन के आधार पर पैनलबद्ध अधिकारी महाप्रबंधक और समकक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए मंत्रिमंडल की नियुक्ति संबंधी समिति को अनुशंसित किए जाएंगे।

महाप्रबंधकों और समकक्ष (भारतीय रेल प्रबंधन सेवा लेवल-16) के पद अंतर स्थानांतरण पद हैं और रेलवे की प्रभावपूर्ण ढंग से कार्यप्रणाली के हित में समीचीन समझे जान पर रेल मंत्रालय द्वारा इन अधिकारियों का स्थानांतरण किया जा सकता है।

5. **छूट**

नीति के उपर्युक्त प्रावधान में से किसी को भी, यदि अन्यथा जनहित में समीचीन माना जाता है, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के परामर्श से आवश्यक सीमा तक छूट दी जा सकती है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति संबंधी समिति को नियुक्तियों की अनुशंसा करते समय इस प्रकार की किसी भी छूट के बारे में विशेष रूप से सूचित किया जाएगा।

6. **व्याख्या**

नीति की व्याख्या से संबंधित सभी शंकाओं का निर्णय कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के परामर्श से और मंत्रिमंडल की नियुक्ति संबंधी समिति के अनुमोदन से रेल मंत्रालय द्वारा किया जाएगा।

आदेश

यह आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रतिलिपि विभिन्न ग्रुप 'ए' रेल सेवा के सदस्यों में परिपत्रित की जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प को आम सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

नवीन कुमार, संयुक्त सचिव (गोपनीय)

अनुबंध-1

रेलवे में लेवल-17 (शीर्ष ग्रेड) और लेवल-16 (एचएजी+) के आईआरएमएस पदों में अधिकारियों को पैनल में शामिल करने के लिए व्यापक मूल्यांकन प्रक्रिया के लिए आंतरिक दिशानिर्देश

1. **बैच-वार पैनलबद्ध करना**

पैनल का गठन बैच-वार किया जाएगा।इसमें कोई विभागीय कोटा नहीं होगा। पैनल समाप्त नहीं होगा।पैनलबद्ध अधिकारियों की तैनाती रिक्तियां होने पर की जाएगी।अगले बैच का पैनल अग्रिम रूप से तैयार किया जाएगा ताकि मौजूदा पैनल समाप्त होने पर रिक्तियां भरने के लिए नए पैनल पर विचार किया जा सके।

2. **विशेषज्ञ पैनल का गठन**

क) सेवानिवृत्त अधिकारियों के एक समूह से विशेषज्ञ पैनल का गठन किया। पैनल का चयन पूरी सावधानी के साथ किया जाएगा।

ख) पैनल के गठन के लिए निम्नलिखित रैंक के सेवानिवृत्त अधिकारियों पर विचार किया जाएगा

- रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्य
- सचिव· भारत सरकार
- रेलों के महाप्रबंधक
- रेलवे के अपर सदस्य
- रेलवे के प्रमुख विभागाध्यक्ष

ग) विशेषज्ञ पैनल एसीआर/एपीएआर का आकलन करने, बहु-स्रोत प्रतिक्रिया प्राप्त करने और एप्लीकेशन का मूल्यांकन करने में सहायता करेगा।।

3. **एसीआर/एपीएआर का मूल्यांकन**

क) मूल्यांकन प्रयोजन के लिए पूरे सेवाकाल की एसीआर/एपीएआरपर विचार किया जाएगा।

ख) विशेषज्ञ पैनल निम्नलिखित आधार पर एसीआर/एपीएआरका मूल्यांकन करेगा:

- क्या अधिकारी की ग्रेडिंग अधिकारी के आत्म-मूल्यांकन के आलोक में और रिपोर्टिंग पुनरीक्षण करने वाले और स्वीकार करने वाले प्राधिकारी की टिप्पणियों से उसके कार्य निष्पादन और उपलब्धियों से मेल खाती है।
- क्या मूल्यांकन सुसंगत प्रवृत्ति दिखाता है।
- भिन्नता के कारण
- उन मामलों के लिए सामान्यीकरण जहां रिपोर्टिंग पुनरीक्षण करने वाले या स्वीकार करने वाले प्राधिकारी को उदार या रूढ़िवादी होने के लिए जाना जाता है।
- एक अधिकारी के कई चार्जेस के मामले में विभिन्न अधिकारियों द्वारा मूल्यांकन के बीच स्थिरता।
- अंतरालों के मामले में मूल्यांकन - क्या ऐसे अंतराल स्व-मूल्यांकन की कमी के कारण सृजित किए गए हैं या समीक्षा प्रक्रिया की कमी के कारण या स्वीकृति प्रक्रिया की कमी के कारण सृजित किए गए हैं।
- विभिन्न क्षेत्रीय रेलों या उत्पादन इकाइयों या रेलवे की अन्य संस्थाओं पर सामान्यीकरण जहां कहीं भी किसी विशेष प्रशासनिक इकाई को उदार या रूढ़िवादी के रूप में जाना जाता है।
- कोई अभ्यावेदन प्राप्त होने की स्थिति में अधिकारियों के प्रतिनिधित्व पर विचार करना।

4. मल्टी सोर्स फीडबैक

क) विशेषज्ञ पैनल जूनियर, साथियों, वरिष्ठों, सेवारत सदस्यों, सेवारत महाप्रबंधकों और बाहरी हितधारकों सहित जुड़े हुए हितधारकों के साथ टेलीफोन पर बातचीत करेगा।

ख) यह रेंज जहाँ तक सम्भव हो विविध होनी चाहिए ।

ग) मल्टी सोर्स फीडबैककम-से-कम सात (7) व्यक्तियों से एकत्र की जानी चाहिए।

घ) विशेषज्ञ पैनल मल्टी सोर्स फीडबैक के प्रारूप में अधिकारी के बारे में प्रत्येक हितधारक की राय एकत्र करेगा जिसमें 7 सरल प्रश्न होंगे (जो निर्णय लेने, स्वामित्व लेने, सक्रिय होने के बारे में, डिलीवरी का ट्रैक रिकॉर्ड है, टीम के खिलाड़ी और टीम के नेता होने के नाते, ईमानदार होने की प्रतिष्ठा, और वरिष्ठ स्तर के लिए उपयुक्तता) जिन्हें 1 से 5 तक अंक दिए जाएंगे।

ड) विशेषज्ञ पैनल ईमानदार और सटीक प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए हितधारकों के नाम गुप्त रखेगा और गोपनीयता सुनिश्चित करेगा।

5. भावनात्मक आसूचना गुणांक के साइकोमेट्रिक माप

क) अधिकारियों के साइकोमेट्रिक माप मानक उपकरणों के प्रयोग से तैयार किए जाएंगे ताकि उनके भावनात्मक आसूचना गुणांक का पता लगाया जा सके।

ख) भावनात्मक आसूचना गुणांकअधिकारी के व्यक्तित्व और भूमिका फिटनेस का आकलन करने के लिए एक अतिरिक्त उपकरण होगा।

ग) भावनात्मक आसूचना गुणांक 5 पैमानों पर व्यक्तित्व का मूल्यांकन करेगा:

- आत्म-धारणा: अधिकारी की क्षमता कमजोरी विकास संबंधी जरूरतें जीवन में लक्ष्यों आत्मविश्वास महत्वाकांक्षाओं आदि के बारे में ईमानदार जागरूकता।
- आत्म-अभिव्यक्ति: मुखरता सोच की स्वतंत्रता आदि।
- पारस्परिक: सहानुभूति सामाजिक जिम्मेदारी हितधारकों आदि के साथ संवाद करने की क्षमता।
- निर्णय लेना: समस्या हल करना वास्तविकता परीक्षण और आवेग नियंत्रण।
- तनाव प्रबंधन: लचीलापन आशावाद और तनाव सहिष्णुता।

6. समग्र मूल्यांकन से संबंधित दस्तावेज गोपनीय रखे जाएंगे।

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

RESOLUTION

New Delhi, the 27th May, 2022

Sub. : Creation of IRMS at top level (ex-cadre Level-17 posts &ex-cadre Level-16 posts) in Railways and selection norms thereof

No. 2022/E(G)RR/23/3.—In pursuance of the Cabinet Decision of 24th December 2019 for comprehensive restructuring of Railways' organization, Government has decided to merge the 7 ex cadre posts at L 17 (apex) level and 29 ex cadre posts at L 16 (HAG+) level in Railways to create Indian Railway Management Service (IRMS) at the top.

In line with above decision, earlier notified Resolution of Government of India No. ERB-1/2016/11/3 dated 16.08.2016 regarding norms for filling up the post of CRB and Members of Railway Board, Resolution No ERB-I/2019/11/2 dated 11.11.2019 regarding norms for filling up the post of DG (Safety) and Resolution No. E(O)III-2016/PL/01 dated 16.08.2016 regarding norms for filling up the posts of General Managers and equivalent under the Ministry of Railways are hereby repealed, and in supersession, new policy for filling up IRMS L 17 and L 16 posts of top management in Indian Railways has been approved and is appended below.

Policy for creation of IRMS at the top level (Level 17 &Level 16) in Railways and selection norms thereof

1. **Re-designation of 36 posts at Level 17 (L17) and Level 16 (L16) as IRMS posts**

Recognizing the need for removing departmentalism amongst railway officers, the Union Cabinet approved comprehensive restructuring of railway organization on 24th Dec 2019.

In pursuance of this decision, the 7 ex-cadre posts at L 17 (Apex) level and 29 ex-cadre posts at L 16 (HAG+) level are hereby re-designated as IRMS L17 and IRMS L16 posts as detailed below.

L-17 (Apex level: ex-cadre) posts to be re-designated as IRMS (L-17) posts:

#	Post	Numbers
1	Chairman & CEO Railway Board	1
2	Members of Railway Board [Member (Infrastructure), Member (Operation & Business Development), Member (Traction & Rolling Stock) and Member (Finance)]	4
3	Director General (Human Resources)	1
4	Director General (Safety)	1
	Total	7

L-16 (ex-cadre: HAG+) level posts to be redesignated as IRMS (L-16) posts:

#	Post	Numbers
1	General Managers (Zonal Railways) including Metro Railway	17
2	General Manager, Integral Coach Factory, Chennai	1
3	General Manager, Chittaranjan Locomotive Works, Chittaranjan	1
4	General Manager, Banaras Locomotive Works, Varanasi	1
5	General Manager, Rail Wheel Factory, Bengaluru	1
6	General Manager (Construction), Northeast Frontier Railway Guwahati	1
7	General Manager, Modern Coach Factory, Rae Bareli	1

8	General Manager, Central Organization for Railway Electrification, Allahabad	1
9	General Manager, Rail Coach Factory, Kapurthala	1
10	Director General, National Academy of Indian Railways, Vadodara	1
11	Director General, Research, Designs and Standards Organization, Lucknow	1
12	Additional Member/Planning/Railway Board	1
13	Secretary Railway Board	1
	Total	29

2. **Principle of batch-wise empanelment**

a) Empanelment for these IRMS L 17 and IRMS L 16 posts shall be done batch-wise from the eligible candidates, selecting the best suitable officers through a comprehensive assessment by Ministry of Railways and approved by ACC.

b) Thereafter posting shall be done with approval of ACC based on vacancies and suitability of empanelled officers for the post.

c) There shall be no departmental quota. Also, there shall be no open-line versus non-open-line distinction for posting as General Manager.

d) Panel will remain in force till all the empanelled officers are posted. Empanelled officers will be posted as and when vacancies arise.

e) Panel for next batch will be prepared well in advance so that the new panel can be considered for filling vacancies as soon as the existing panel is exhausted.

3. **Empanelment process**

3.1 **Eligibility for empanelment**

For being considered eligible for empanelment to IRMS L 17 and IRMS L 16 posts, the officer should belong to one of the eight Organized Group 'A' Services of Indian Railways (IRSE, IRSME, IRSEE, IRSSE, IRSS, IRTS, IRPS, IRAS) and should be working in Level 15 (Higher Administrative Grade (HAG))or above on regular basis.

3.2 Eligible officers of the batches to be considered for empanelment to IRMS L 17 and IRMS L 16 will be asked to apply for empanelment. Application shall consist of the following:

(a) Top three positions that the officer would like to be selected for (officer will be considered for all positions)

(b) Description of top five contributions to the organization in lifetime (can give more also)

(c) Description of top five contributions that officer will make in the top three positions that the officer is aspiring for in a given time frame

3.3 A DPC comprising Secretary DOP&T, Chairman & CEO Railway Board, and one non-railway officer (like Secretary DPIIT, or Secretary MORTH, or CEO NITI Aayog, etc.) to be nominated by Minister of Railways will make an overall assessment of the officer based on four inputs: i) Expert Panel (EP) assessment of ACR/APARs; ii) EP Multi-Source Feedback; iii) EQ assessment; and iv) Application.

Internal Guidelines for the assessment process to aid the DPC in decision making for the empanelment are enclosed as **Annexure-1**.

Based on this overall assessment, the DPC will recommend the panels for IRMS L-17 and IRMS L-16 for approval of the ACC.

3.4 **Periodicity of meeting of DPC and currency of panels**

a) The DPC shall meet at a suitable time considering the availability of officers in the existing panel. It shall meet sufficiently in advance for considering empanelment of a batch so that all the necessary

steps can be taken up well in advance before the existing panel is exhausted. The panel drawn up by the DPC and approved by ACC shall be valid till all empanelled officers are posted (in available and upcoming vacancies).

b) Once empanelled, officers will be appointed against vacancies based on suitability of the officer for the post.

3.5 The documents relating to the overall assessment shall be treated as strictly confidential to ensure the fairness and accuracy of the comprehensive assessment process.

3.6 **Representation by officer**

a) Any officer affected by the empanelment process may submit a representation to the Chairman & CEO, Railway Board, who shall send this representation to the Review Expert Panel.

b) Review Expert Panel will be constituted as per guidelines in **Annexure-1**comprising experts different from the original Expert Panel will be constituted. The Review Expert Panel shall study the recommendations of the EP, conduct fresh assessment as per the **Annexure -1**, consider the representation of the officer, and then submit its reasoned recommendations to the Chairman & CEO Railway Board.

c) All cases recommended for reconsideration shall be reviewed by the DPC at the earliest and definitely within 3 months of submission of the reasoned recommendations by the Review Expert Panel.

d) An officer can submit a maximum of two representations for empanelment of IRMS L-16 and one representation for empanelment of IRMS L 17.

4**.** **Appointment of empanelled officers to IRMS L 17 and L 16 posts**

4.1 **Appointment to be different from empanelment**

a) Empanelment does not entitle appointment to a particular post.

b) Appointment will be the prerogative of the appropriate authority based on suitability of the empanelled officer for a particular post.

4.2 **Appointment of CRB & CEO in IRMS L 17 apex grade**

All officers working in IRMS L17 and officers available in the panel for IRMS L17 shall be eligible for appointment to the post of Chairman & CEO Railway Board. Based on experience profile, competence, general reputation, integrity as well as leadership qualities, comprehensive assessment and suitability for the post, one of the officers shall be recommended by the Ministry of Railways for appointment as CRB & CEO for approval of Appointments Committee of the Cabinet (ACC).

4.3 **Appointment of four Members of Railway Board and DG (Human Resource)& DG (Safety) in IRMS L 17 apex grade**

All officers working in IRMS L 17 and officers available in the panel for IRMS L 17 shall be eligible for appointment to the posts of Member (Infrastructure), Member (Operations & Business Development), Member (Traction & Rolling Stock) & Member (Finance), DG (Human Resource) and DG (Safety). Suitable officers based on experience profile, competence, general reputation, integrity as well as leadership qualities, comprehensive assessment and suitability for the posts shall be recommended to the Appointments Committee of the Cabinet for appointment to these posts.

4.4 **Appointment of General Managers and equivalent in IRMS L 16**

All officers empanelled for IRMS L 16 shall be eligible for appointment to the posts of General Managers and equivalent in IRMS L 16. Keeping in view the specific requirement (s) of the post and suitability of the empanelled officers for the post(s) to be filled up, empanelled officers based on comprehensive assessment will be recommended for appointment as General Manager and equivalent to the Appointments Committee of the Cabinet.

The posts of General Managers and equivalent (IRMS L 16) are interchangeable and the Ministry of Railways may transfer these officers if it considers expedient to do so in the interest of effective functioning of the railways.

5. **Relaxation**

Any of the above-mentioned provision of the Policy, if otherwise considered expedient in the public interest may be relaxed to the extent necessary, in consultation with the Department of Personnel & Training. Any such relaxation shall be specifically brought to the notice of the Appointments Committee of the Cabinet while recommending appointments.

6. **Interpretation**

All questions of doubt regarding the interpretation of the Policy shall be decided by the Ministry of Railways in consultation with the Department of Personnel &Training and with the approval of the Appointments Committee of the Cabinet.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be circulated among the members of various Group 'A' Railway Services.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

NAVIN KUMAR, Jt. Secy. (Confidential)

Annexure-1

Internal guidelines for comprehensive assessment process for empanelment of officers into IRMS posts of Level-17 (Apex grade) and Level-16 (HAG+) in Railways

1. Batch wise empanelment

Panel will be created batch wise. There shall be no departmental quotas. Panel will not expire. Empanelled officers will be posted as and when vacancies arise. Panel for next batch will be prepared well in advance so that the new panel can be considered for filling vacancies as soon as the existing panel is exhausted.

2. Constitution of Experts Panel (EP)

a) A panel of experts (EP) would be created from amongst a set of retired officers. Panel selection would be done with utmost care.

b) Retired officers of following ranks would be considered for creating panel.

- Chairmen and Members of Railway Board
- Secretaries, Government of India
- General Managers (GM) of Railways
- Additional Members (AM) of Railways
- Principal Heads of Departments (PHODs) of Railways

c) The Experts Panel will assist on assessing the ACRs/APARs, getting multi-source feedback, and evaluating the applications.

3. Assessment of ACRs/APARs

a)ACRs/APARs of entire career will be considered for evaluation purpose.

b) EP shall evaluate the ACR/APAR on following grounds:

- Whether the gradings match the performance and achievements of the officer and in the light of the officer's self-assessment and the remarks of the reporting, reviewing and accepting authority.
- Whether the assessment shows a consistent trend.

- Reasons for inconsistencies.
- Normalization for cases where a reporting, reviewing, or accepting authority is known to be liberal or conservative.
- Consistency between assessment by different officers in case an officer holds multiple charges.
- Assessment in case of gaps - whether such gaps have been created due to lack of self-assessment, or due to lack of review process, or due to lack of acceptance process.
- Normalization over different zonal railways or production units or other entities of railways wherever a particular administrative unit is known to be liberal or conservative.
- Consider representation of officers in case any representation is received.

4. Multi-Source Feedback

a) EP will interact telephonically with a range of connected stakeholders including juniors, peers, seniors, serving Members, serving GMs and external stake holders.

b) The range should be as diverse as possible.

c) MSF should be collected from a minimum of seven (7) persons.

d) EP will capture each stakeholder's opinion of the officer in an MSF format having 7 simple questions (about decision making, taking ownership, being proactive, has track record of delivery, being team player and team leader, reputation of being honest, and suitability for senior level) to be scored on a scale of 1 to 5.

e) EP will ensure anonymity and confidentiality of stakeholders to elicit honest and accurate feedback.

5. Psychometric measurement of Emotional Intelligence Quotient (EQ)

a) Psychometric assessment of officers will be done using standard tools to understand the Emotional Intelligence Quotient.

b) EQ will give an additional tool assessing personality and role fitness.

c) EQ assesses personality on 5 scales:

- Self-perception: Honest awareness of one's strength, weakness, development needs, goals in life, self-confidence, ambitions etc.
- Self-expression: Assertiveness, independence of thinking etc.
- Interpersonal: Empathy, social responsibility, ability to communicate with stakeholders etc.
- Decision making: Problem solving, reality testing and impulse control.
- Stress management: Flexibility, optimism and stress tolerance.

6. The documents relating to the overall assessment shall be confidential.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2022.05.27 23:31:36 +05'30'